

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,  
प्रयागराज।
2. कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।
3. विशेष कार्याधिकारी तथा राज्य सम्पर्क  
अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक  
उच्च शिक्षा विभाग।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 10 अगस्त, 2021

विषय:-मिशन शक्ति तृतीय चरण हेतु महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए उच्च शिक्षा विभाग की माह अगस्त-दिसम्बर, 2021 की कार्ययोजना।

महोदय

अवगत कराना है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम विगत वर्षों से संचालित किया जा रहा है, जिसके क्रम में गत वर्ष दो चरणों में क्रमशः शारदीय नवरात्रि की शुभ तिथियों में दिनांक 17.10.2020 से 25.10.2020 तक तदोपरान्त बासंतिक नवरात्रि में 26 फरवरी, 2021 से 21 अप्रैल, 2021 तक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विशेष कार्ययोजना तैयार करते हुए मिशन शक्ति अभियान चलाया गया है।

2- इसी क्रम में मिशन शक्ति अभियान के तृतीय चरण का शुभारम्भ दिनांक 21.08.2021 से करते हुए माह दिसम्बर, 2021 तक संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए मिशन शक्ति अभियान के तृतीय चरण के लिए 21 अगस्त से दिसम्बर, 2021 तक के लिए उच्च शिक्षा विभाग की कार्ययोजना निम्नवत् है:-

### (1) दिनांक 21-08-2021 को मिशन शक्ति तृतीय चरण का शुभारम्भ

- अपरान्ह 03:30 से 05:00 बजे तक-विश्वविद्यालय द्वारा विषय विशेषज्ञों के सहयोग से सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा छात्र/छात्राओं का अभिमुखीकरण किया जायेगा।
- एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/रोवर्स रेन्जर्स द्वारा मिशन शक्ति के सम्बन्ध में ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।

### (2) बदलाव के अभिकर्ता (Agents of Change) का चयन

- माह अगस्त में चयन- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों तथा कार्यरत अध्यापकों में से कुछ बालकों एवं पुरुषों को बदलाव के अभिकर्ता (Agents of Change) के रूप में चयनित किया जाएगा।
- 2 अक्टूबर, 2021 को चयनित बदलाव के अभिकर्ताओं का सम्मान किया जायेगा।

- 10 दिसम्बर, 2021 को मानव अधिकार दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एजेण्टस आफ चेन्ज द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों का प्रदर्शन किया जायेगा।

### **(3) परामर्श सत्र (Counselling Session)**

**“चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो”**

हर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में परामर्श सत्र (Counselling Session) नियमित रूप से आयोजित किये जायेंगे जिसमें छात्राओं को परामर्श प्रदान किया जायेगा। इस हेतु महिला प्राध्यापकों को नामित किया जायेगा, जो बालिकाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें यथोचित परामर्श देंगी। इस कार्य में एनोजीओ० एवं मनोचिकित्सकों का सहयोग भी लिया जायेगा।

### **(4) बालिका हेल्थ क्लब एवं स्वास्थ्य परीक्षण-**

- महिला महाविद्यालयों में हेल्थ क्लब स्थापित किए जाएंगे तथा सह-शिक्षा महाविद्यालयों में बालिका हेल्थ क्लब (Girls' Health Club) स्थापित किये जाएंगे जिनमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से First Aid Kit तथा प्राथमिक उपचार हेतु प्रशिक्षण दिए जाएंगे।
- स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु माह अगस्त-दिसम्बर, 2021 के दौरान कम से कम एक स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प आयोजित किया जाएगा।

### **(5) महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान-**

पुलिस विभाग के सहयोग से हर जनपद में महिला सुरक्षा एवं साइबर क्राइम पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

### **(6) प्रेरणात्मक संवाद (Inspirational Intractions)**

हर उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा माह में एक बार किसी महिला रोल मॉडल के साथ संवाद (interaction) आयोजित किया जाएगा।

### **(7) माह अगस्त-दिसम्बर चतुर्थ शनिवार**

#### **उद्यमता विकास**

- सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे जिनमें उन्हें उद्यमिता एवं आत्मनिर्भरता की ओर प्रोत्साहित करते हुए आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी।
- हर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में छात्राओं हेतु परामर्श सत्र (Counselling Session) आयोजित किए जायेंगे जिसमें नामित महिला प्राध्यापक उनकी समस्याओं को सुनकर परामर्श देंगी।
- हर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा छात्राओं को योग एवं व्यायाम का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

## (8) माह सितम्बर – दिसम्बर प्रथम शनिवार

### लैंगिक समानता एवं स्वास्थ्यवर्धन

- सभी उच्च शिक्षण संस्थान लैंगिक समानता, बालिकाओं के स्वास्थ्यवर्द्धन एवं पोषण के प्रति जागरूकता, विशेष रूप से कोविड-19 के दृष्टिगत इम्फ्यूनिटी वर्द्धन हेतु सजग एवं जागरूक करने हेतु वेबिनार, व्याख्यानमालाओं एवं निबन्ध/पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों का सहयोग लिया जायेगा।
- हर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में छात्राओं हेतु परामर्श सत्र (Counselling Session) आयोजित किए जायेंगे जिसमें नामित महिला प्राध्यापक उनकी समस्याओं को सुनकर परामर्श देंगी।
- हर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा छात्राओं को योग एवं व्यायाम का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

## (9) माह सितम्बर–दिसम्बर द्वितीय शनिवार

### महिला सुरक्षा

- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा वेबिनार/सेमिनार आयोजित किये जायेंगे जिसमें महिला सुरक्षा के विविध प्राविधानों महिला हेल्पलाइन, साइवर क्राइम, पाक्सो एक्ट, लैंगिक हिंसा, दहेज कुप्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अनैतिक दुर्व्यापार सम्बन्धी रोकथाम, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न सम्बन्धी रोकथाम आदि के लिए प्रचिलत कानूनों की जानकारी दी जायेगी। उक्त कार्यक्रमों में पुलिस अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाय।
- वेबिनार के उपरान्त छात्राओं हेतु परामर्श सत्र (Counselling session) आयोजित किये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा छात्राओं को आपातकाल में आत्मसुरक्षा हेतु मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

## (10) माह सितम्बर–दिसम्बर तृतीय शनिवार

### महिला सशक्तिकरण

- विश्वविद्यालयों में स्थापित महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के द्वारा विषय विशेषज्ञों के सहयोग से महाविद्यालयों के शिक्षकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा। इस वेबिनार के माध्यम से बाल पोषण, विधि विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों एवं पुलिस अधिकारियों के सहयोग से लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, पाक्सो एक्ट एवं अन्य प्रचलित कानूनों के संबंध में जानकारी दी जायेगी। सभी हेल्पलाइन नम्बरों का व्यापक प्रचार किया जाय।
- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्रों एवं अभिभावकों द्वारा 'बालिका सुरक्षा शपथ' ली जायेगी।

## (11) NCC/NSS/Rover Rangers

- एनोसी0सी0धन0एस0एस0 के महिला विंग तथा रेंजर्स के द्वारा हर शनिवार को स्वच्छता तथा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
- मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत समाज में जागरूकता लाने की कार्यवाही की जाएगी।
- महिला सुरक्षा हेतु संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रसार-प्रचार किया जायेगा।

## (12) विशिष्ट दिवसों पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम

- 26 अगस्त, 2021—Women Equality Day—‘महिलाओं में उद्यमिता का विकास’ विषय पर भाषण/निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर कुछ सफल महिला उद्यमियों से संवाद भी कराया जाएगा।
- 10 दिसम्बर, 2021—Human Rights Day—विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में Agents of Change द्वारा सम्पादित किए गए कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा।
- 16 दिसम्बर 2021—Nirbhaya Divas—हर उच्च शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं के लिए क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

### 3— कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु दायित्व निर्वाचन

- निदेशालय स्तर पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन स्तर पर श्री अन्धुल समद, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
- जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे। नोडल अधिकारी, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये कार्यक्रमों को सफल बनाना सुनिश्चित करेंगे।
- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले जनपदों में नोडल अधिकारी नामित करेंगे तथा उक्त कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण भी करेंगे।
- अभियान की गतिविधियों तथा विषय सामग्री पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के शारीरिक शिक्षकों/राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी/रोवर रेंजर्स प्रभारी/एनोसी0सी0 प्रभारी द्वारा अभियान का व्हाट्सअप, ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सिंगनल, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा।
- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय गतिविधियों की प्रेस विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायेंगे।
- अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा पाकिय समीक्षा निदेशालय स्तर पर की जायेगी और समीक्षा आख्या उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित की जायेगी। अभियान का मासिक अनुश्रवण शासन स्तर पर किया जायेगा।
- कार्यक्रम से सम्बन्धित डाक्यूमेंटेशन, आडियो- वीडियो-क्लीपिंग, पोस्टर, फोटोग्राफ एवं आख्या को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी साप्ताहिक रूप से संकलित कर निदेशालय की ई-मेल dhedegreevikas@gmail.com पर माह के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सोमवार को उपलब्ध करायेंगे।

4— मृशन शाक्त आभेयान के तृतीय चरण के अन्तर्गत उक्त कार्ययोजना तथा उक्तानुसार कार्यक्रमों का आयोजन कराते हुए कार्यवाही की रिपोर्ट सूचना विभाग के पोर्टल पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा तथा जनपद रत्तर पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड किया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की रिपोर्ट उच्च शिक्षा अनुभाग-3 की ई-मेल आई0डी0 hesection.3@gmail.com पर मासिक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वेबसाइट

भवदीया  
८/१०  
( मोनिका एस. गर्ग )  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या— 1819(1)सत्तर-3-2021 तिथिकांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2—अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3—अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4—अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5—कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
- 6—पुलिस महानिदेशक, पुलिस, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7—अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 9— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 10— समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
- 11— अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- 12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अब्दुल समद )  
विशेष सचिव

पत्रांक—जे0एन0सी0यू0/आर0कैम्प(सा0प्र0)/४८९६/2021  
सेवा में,

दिनांक: 27 अगस्त, 2021

प्राचार्य/प्राचार्या,  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,  
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(एस0 एल0 पाल)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति जी।
2. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं कालेज लागिन आई0डी0 पर अपलोड करने हेतु।

कुलसचिव